Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फा.सं.सी-66/2011-एमपीलैड्स-खंड III

दिनांक: 05.06.2015
Dated ....

सेवा में,

1. आयुक्त
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः एम्बुलेंसों/शव वाहनों की खरीद ।

महोदय/महोदया,

एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों में निहित पूर्व के अनुदेशों के अधिक्रमण में, दिशा-निर्देशों के पैरा 3.25 में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया हैः-

पैरा 3.25: संसद सदस्य की सिफारिश पर जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एम्बुलेंसों/शव वाहनों की खरीद की अनुमति पहले से ही दी गई है ।

2. एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुबंध-II-क के पैरा 10 में निम्नानुसार संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया हैः-

पैरा 10: एम्बुलेंस/शव वाहन (3.25):

(क) संसद सदस्य की सिफारिश पर जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एम्बुलेंसों की खरीद की अनुमति पहले से ही दी गई है ।

(ख) एम्बुलेंसों/शव वाहनों की खरीद संसद सदस्य की सिफारिश पर तथा जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद की जाएगी जिसमें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हो ।

(ग) खरीदा गया एम्बुलेंस/शव वाहन जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्वामित्व तथा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण में रहेगा ।

(घ) प्रयोक्ता प्रभार जिला प्राधिकारी (उपयुक्त तरीके से गठित समिति की सिफारिश पर) द्वारा तय किए जाएंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि तय किए गए प्रभार सुसंगत हैं और आम आदमी द्वारा वहन किए जा सकते हैं ।

(ङ.) जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट इन एम्बुलेंसों/शव वाहनों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की निगरानी करेंगे ताकि जनता को उनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके ।

(च) इस प्रकार खरीदे गए प्रत्येक एम्बुलेंसों/शव वाहनों पर दोनों तरफ मोटे अक्षरों में "श्री/श्रीमती ---------------------, संसद सदस्य के अंशदान से भारत सरकार, एमपीलैड्स निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस/शव वाहन" लिखा जाएगा ।

(छ) जिला प्राधिकारी सरकारी चिकित्सालयों, नगर निगम/पंचायत कार्यालयों आदि में प्रमुख स्थानों पर संसद सदस्य द्वारा अपने एमपीलैड्स स्कीम निधियों से एम्बुलेंस/शव वाहन उपलब्ध कराए जाने के बारे में सार्वजनिक नोटिस लगाएंगे जिसमें संपर्क के लिए दूरभाष नं. दिए जाएंगे ताकि जनता एम्बुलेंस/शव वाहन की सेवाएं प्राप्त कर सके और उसके दुरूपयोग या प्रयोग न किए जाने के बारे में शिकायत दर्ज करा सके जिससे जिला प्राधिकारी उन शिकायतों की समुचित जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर सके ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

9-6-15

(मित्र सेन)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स का काम देख रहे नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के एनआईसी ।